[redacted]

न्यायालय समक्ष- श्रीमान् सदस्य महोदय,राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर [redacted]

नरवदिया पुत्री रघुनाथ कुशवाहा पत्नी दुर्जन कुशवाहा

निवासी-लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर

निगरानी-3494/2018/छतरपुर/भू.रा.

...आवेदिका

॥ बनाम ॥

1. छिकौड़ी तनय किशोरी कुशवाहा

2. चिरौंजीलाल तनय किशोरी कुशवाहा

दोनों निवासी-लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर

...अनावेदकगण

आज दि. 6-6-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 14-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र019/अ-27 वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 12.6.17 से दुखित होकर

मान्यवर,महोदय,

आवेदिका की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना है:-

1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि मौजा लवकुशनगर मे स्थित भूमि ख.नं. 1920,1937 शामिल नंबर 1938,1940,1941, 1942,रकवा क्रमशः 0.716, 0.821 हे0, 0.517हे0, 0.595हे0, कुल रकवा 2.649हे0 भूमि अपीलार्थी/आवेदिका एवं अनावेदकगणों के सहखाते की भूमिस्वामी एवं आधिपत्य की भूमि है जिसमें आवेदिका का प्रत्येक आराजी नंबर में 1/2 हक व हिस्सा है तथा अनावेदकगणों का 1/2 हक व हिस्सा है जिसके अनुसार आवेदिका द्वारा एक आवेदनपत्र दिनांक 9.7.15 को संहिता की धारा 178 के तहत बटवारा किये जाने बावत् तहसीलदार लवकुशनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार लवकुशनगर द्वारा अपने न्यायालय में प्र.क्र. 24/अ-27 वर्ष 14-15 दर्ज किया तथा उसमें उभयपक्षों को सुनने के पश्चात दिनांक 12.4.16 को बटवारा आदेश पारित किया जिससे दुखित होकर आवेदिका द्वारा एक अपील एस.डी.ओ. लवकुशनगर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जो कि उनके न्यायालयीन प्र0क्र0219/अपील वर्ष 15-16 में पारित आदेश दिनांक 16.8.16 के अनुसार स्वीकार की गई तथा समस्त भूमि में से 1/2 -1/2 का बटवारा करने का आदेश किया गया जिससे दुखित होकर अनावेदकगणों द्वारा एक द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3494/2018/छतरपुर/भू.रा. नरवदिया विरूद्ध छिकोडी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-06-2018	आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के आदेश दिनांक 12-06-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा किया गया फर्द बंटवारा पूर्णत: विधिसंगत है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक खसरा क्रमांक का ½ के मान से विभाजन कर बटवारा आदेश स्वीकार करने में वैधानिक त्रुटि की है । अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-08-2016 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-04-2016 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है । अपर कलेक्टर द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 29/6	